दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 5 दिसंबर 2023

उदघोषित: 25 जनवरी 2024

सि.वा.(वाणि.) 454/2023, अंर्त.आ. 12308/2023, अंर्त.आ. 17542/2023 एवं अंर्त.आ. 19426/2023

लोटस हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड ..... वादी

द्वारा: श्री अखिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अभिषेक बंसल, सुश्री असावरी जैन, श्री मोहन विधानी, श्री ओ. पी. बंसल, श्री डी. के. गुप्ता, सुश्री बाहुली, श्री राहुल विधानी, श्री प्रखर सिंह। सुश्री एलीशा सिन्हा एवं सुश्री मिक्षिता गौतम, अधिवक्तागण।

बनाम

डीपीकेए यूनिवर्सल कंज्यूमर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ...... प्रतिवादी

द्वारा: श्री दयान कृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री प्रवीण आनंद, श्री ध्रुव आनंद, सुश्री उदिता पात्रो एवं सुश्री निमरत सिंह, अधिवक्तागण।

प्रतिवादी 3 हेतु श्री अजीम खान, सुश्री अरुंधति धर, सुश्री श्रेया पुरी

एवं सुश्री दीपा राठी, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरि शंकर

<u>निर्णय</u>

25.01.2024

<u>अंर्त.आ. 12308/2023 (सि.प्र.सं. के आदेश नियम 1 व 2 के तहत)</u>

1. वादी का दावा है कि उसके प्रदर्शनों की सूची में, 1000 से अधिक त्वचा, सौंदर्य और बालों की देखभाल के उत्पाद हैं, जो सभी हाउस चिह्न/व्यापार चिन्ह लोटस के तहत बेचे जाते हैं। कहा जाता है कि लोटस चिह्न का उपयोग वर्ष 1993 में शुरू हुआ था। वादी निम्नलिखित पंजीकृत व्यापार चिह्नों का स्वत्वधारी भी है, जिसे "लोटस के रचनात्मक चिन्ह" भी कहा जा सकता है:

क्र. सं.	व्यापार चिन्ह	शब्द/ आकृति	व्यापार चिन्ह सं.	दायर करने की तिथि	वर्ग
1.	LOTUS	आकृति	711932	1996.08.02	5
2.	LOTUS	आकृति	711934	1996.08.02	3
3.	लोटस	शब्द	1123692	2002.08.02	3
4.	लोटस	शब्द	1123693	2002.08.02	5

5.	लोटस हर्बल्स प्रोफेशनल	शब्द	1423171	2006.02.21	5
6.	लोटस हर्बल्स प्रोफेशनल	शब्द	1423176	2006.02.21	3
7.	LOTUS HERBALS	आकृति	1451464	2006.05.08	3
8.	LOTUS HERBALS	आकृति	1451465	2006.05.08	5
9.	लोटस सनसेफ	शब्द	1967373	2010.05.18	5
10	लोटस ग्लोव्हाइट	शब्द	1967374	2010.05.18	3
11		आकृति	2322460	2012.04.26	3
12		आकृति	2322462	2012.04.26	5
13	लोटस ऑर्गेनिक्स+	शब्द	2633760	2013.11.27	3
14	लोटस ऑर्गेनिक्स+	शब्द	2633761	2013.11.27	5
15	LOTUS PROFESSIONAL	आकृति	2769531	2014.07.08	3
16	लोटस सेफ सन	शब्द	3008852	2015.07.15	3
17	लोटस सेफ सन	शब्द	3008853	2015.07.15	5

18	लोटस व्हाइटग्लो	शब्द	3008855	2015.07.15	5
19	लोटस इकोस्टे	शब्द	3008856	2015.07.15	3
20	लोटस इकोस्टे	शब्द	3008857	2015.07.15	5
21	लोटस कलरकिक	शब्द	3008858	2015.07.15	3
22	लोटस कलरकिक	शब्द	3008859	2015.07.15	5
23	लोटस यूथआरएक्स	शब्द	3008861	2015.07.15	5
24	लोटस प्रोफेशनल फाइटो आरएक्स	शब्द	3008862	2015.07.15	3
25	LOTUS MAKE-UP ECOSTAY	आकृति	3008866	2015.07.15	3
26	LOTUS MAKE-UP ECOSTAY	आकृति	3008867	2015.07.15	5
27	LOTUS MAKE-UP colorkick	आकृति	3008868	2015.07.15	3
28	LOTUS MAKE-UP colorkick	आकृति	3008869	2015.07.15	5
29	LOTUS HERBALS YOUTHRx	आकृति	3008870	2015.07.15	3
30	LOTUS HERBALS YOUTHRx	आकृति	3008871	2015.07.15	5

31	LOTUS PROFESSIONAL PHYTORx	आकृति	3008872	2015.07.15	3
32	LOTUS PROFESSIONAL PHYTORx	आकृति	3008873	2015.07.15	5
33	LOTUS YOUTHRx	आकृति	3406127	2016.11.08	3
34	LOTUS Organics+	आकृति	3406128	2016.11.08	3
35	LOTUS PROFESSIONAL	आकृति	3406130	2016.11.08	3
36	LOTUS HERBALS PROBRIGHT	आकृति	3561211	2017.06.01	3
37	LOTUS HERBALS PROBRIGHT	आकृति	3561212	2017.06.01	5
38	LOTUS HERBALS baby+	आकृति	3656610	2017.10.13	3
39	LOTUS HERBALS baby+	आकृति	3656611	2017.10.13	5
40	लोटस हर्बल्स बेबी+	शब्द	3656693	2017.10.13	3
41	लोटस हर्बल्स बेबी+	शब्द	3656694	2017.10.13	5
42	LOTUS HERBALS PROBRITE	आकृति	3732456	2018.01.20	3

43	LOTUS HERBALS PROBRITE	आकृति	3732457	2018.01.20	5
44	LOTUS MAKE-UP PROEDIT	आकृति	3817448	2018.04.26	3
45	LOTUS MAKE-UP PROEDIT	आकृति	3817449	2018.04.26	5
46	LOTUS PRO MEN	आकृति	3843467	2018.05.25	3
47	LOTUS PRO MEN	आकृति	3843468	2018.05.25	5
48	LOTUS BOTANICALS	आकृति	4585414	2020.07.28	3
49	LOTUS BOTANICALS	आकृति	4585539	2020.07.28	5
50	LOTUS PROFESSIONAL PROMEN	आकृति	4614971	2020.08.19	3
51	LOTUS PROFESSIONAL PROMEN	आकृति	4614972	2020.08.19	5
52	LOTUS HERBALS Lip Therapy	आकृति	4650261	2020.09.10	3
53	LOTUS HERBALS Lip Therapy	आकृति	4650262	2020.09.10	5

54	LOTUS MAKE - UP	आकृति	5336638	19.02.2022	3
55	LOTUS MAKE - UP	आकृति	5336640	19.02.2022	5

2. लोगो LOTUS HERBALS का प्रतिलिप्यधिकार भी वादी के पक्ष में पंजीकरण संख्या ए-97661/2013 के माध्यम से दिनांक 10 फरवरी 2011 से पंजीकृत है।

3. अपनी सद्भावना और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए, और बाजार में इसके "लोटस" चिह्नों की कमान को सुरक्षित रखने के लिए, वादी ने लोटस चिह्नों के उपयोग से अपने बिक्री के आंकड़े प्रदान किए हैं, जो वर्ष 2021-2022 एवं 2022-2023 के दौरान क्रमशः 529 करोड़ तथा 695 करोड़ के दायरे में हैं। वादी ब्रांडों के विज्ञापन और प्रचार पर भी काफी राशि खर्च करता है, इस प्रकार खर्च की गई राशि 2021-2022 में 103 करोड़ और 2022-2023 में 98 करोड़ के दायरे में है।

4. वादी .. वेबसाइट का मालिक है और उसका संचालन भी करता है। वाद में आगे प्रकथन किया गया है कि वादी ने विभिन्न प्रतिष्ठित कार्यक्रमों और प्रोग्रामों का आयोजन और प्रायोजित किया है तथा वर्ष 2017 से 2023 की अवधि के दौरान आईपीएल क्रिकेट टीम किंग्स इलेवन पंजाब का प्रायोजक भी रहा था।

5. दावा किया जाता है कि लोटस रचनात्मक चिन्ह, जन मानस में, वादी के साथ अमिट रूप से जुड़ हुए हैं तथा अन्य किसी के साथ नहीं जुड़े। इसलिए, वे स्रोत पहचानकर्ता बन गए हैं।

6. वादी प्रतिवादियों द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले फेस क्लींजर/फेस वॉश के लिए नाम/लोगो "लोटस स्प्लैश" के उपयोग से व्यथित है:

7. वादी के अनुसार, अपने उत्पाद के लिए "लोटस स्पलैश" नाम का उपयोग, वादी के पंजीकृत "लोटस" रचनात्मक चिन्ह का उल्लंघन है और साथ ही वादी के साथ संबंध होने के रूप में प्रतिवादियों के उत्पाद को भी अनुचित प्रकार से प्रस्तुत करता है। प्रतिवादियों के आक्षेपित उत्पाद को सामान्य दुकानों के साथ-साथ प्रतिवादियों की वेबसाइट .82. के माध्यम से ऑनलाइन भी बेचा जाता है।

8. वादी ने तदनुसार दिनांक 6 फरवरी 2023 को प्रतिवादियों को एक नोटिस जारी किया, जिसमें प्रतिवादियों को अपने उत्पाद के लिए "लोटस स्पलैश" चिह्न का उपयोग करने से रोकने और बंद करने के लिए कहा गया। चूंकि नोटिस के बावजूद प्रतिवादियों ने चिन्ह का उपयोग जारी रखा, इसलिए वादी ने प्रतिवादियों के विरुद्ध वर्तमान वाद संस्थित किया है, जिसमें स्थायी व्यादेश की डिक्री की मांग करते हुए, उन्हें उस चिह्न के हिस्से के रूप में "लोटस" का उपयोग करने से रोकते हैं जिसके तहत वे अपना उत्पाद बेचते हैं।

9. सि.प्र.सं. के आदेश नियम 1 व 2 के तहत वाद के साथ दायर वर्तमान आवेदन, वाद के निपटारे तक एक अंतर्वर्ती व्यादेश की मांग करता है, जिससे प्रतिवादियों को वाद के निपटारे तक आक्षेपित "लोटस स्प्लैश" चिह्न, या किसी अन्य चिह्न, जिसमें "लोटस" शामिल है, का उपयोग जारी रखने से रोका जा सके।

10. यह निर्णय उक्त आवेदन को निर्णीत करता है।

11. मैंने वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अखिल सिब्बल एवं प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दयान कृष्णन को अत्यंत विस्तार से सुना है।

परस्पर विरोधी प्रतिविरोध

<u>वादी की ओर से श्री अखिल सिब्बल के प्रतिविरोध</u>

12. श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि, इस तथ्य को देखते हुए कि वादी और प्रतिवादी दोनों "लोटस" चिह्न का उपयोग कर रहे हैं - हालांकि, प्रतिवादियों के मामले में, "स्पलैश" शब्द के संयोजन में-समान उत्पादों के लिए, जनता के मन में भ्रम होना या वादी और प्रतिवादियों के चिह्न के बीच संबंध की धारणा होना तय है। उन्होंने वाद के पैरा 40 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें यह विशेष रूप से प्रकथन किया गया है कि मार्च 2021 में वादी और प्रतिवादी 2 के बीच प्रतिवादी 2 को वादी का प्रतिनिधि बनाने के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इस प्रकार, उस समय जब प्रतिवादियों ने आक्षेपित "लोटस स्पलैश" चिन्ह को अपनाया था, वे वादी के पहले से मौजूद पंजीकृत "लोटस" रचनात्मक चिन्ह से अच्छी तरह से अवगत थे।

13. श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि, वर्तमान आवेदन के अपने उत्तर में, प्रतिवादियों ने यह प्रतिविरोध करना चाहा है कि उनके द्वारा "लोटस स्पलैश" चिह्न का उपयोग वर्णनात्मक अर्थ में किया जाता है। उन्होंने उत्तर के पैरा 13 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें यह प्रकथन निम्नानुसार किया गया है:

> 13. ब्रांड के तहत, प्रतिवादी सं, 1 व 2 विभिन्न नामों के तहत विभिन्न प्रकार के त्वचा देखभाल उत्पादों को बेचते हैं जिसमें उत्पाद के मुख्य घटक जैसे 'अश्वगंधा बाउंस', 'हल्दी शील्ड', 'लोटस स्प्लैश' (वाद में उत्पाद), 'लिकोरिस बीम', 'गोटू कोला डेव' और 'पचौली ग्लो' का वर्णन करते हैं। दस्तावेजों की सूची के साथ उक्त उत्पादों का एक इन्फोग्राफिक प्रस्तुतीकरण

दायर किए जा रहे उत्तर के साथ संलग्न किया गया है। वास्तव में, इनमें से कोई भी किसी भी व्यापारचिन्ह पंजीकरण का विषय नहीं है या यहां तक कि पंजीकरण की मांग करने वाले आवेदन में भी नहीं है जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि प्रतिवादियों द्वारा इन अभिव्यक्तियों का उपयोग व्यापारचिन्ह अर्थ में नहीं है।

इन्फोग्राफिक प्रस्तुतीकरण, जिसे पैरा 13 इंगित करता है, निम्नानुसार है:

14. श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान आवेदन के उत्तर के पैरा 13 का प्राख्यान झूठा है, क्योंकि प्रतिवादी 1 ने वास्तव में, **व्यापारचिन्ह** अधिनियम के तहत व्यापार चिह्न के रूप में "लोटस स्पलैश" को छोड़कर सभी चिन्हों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। **यदि "अश्वगंधा बाउंस", "लिकोरिस बीम", "पचौली ग्लो" और "हल्दी शील्ड" का उपयोग व्यापार चिह्न के अर्थ में किया**

जा रहा है, तो वह प्रस्तुत करते है कि प्रतिवादी "लोटस स्प्लैश" के मामले में अन्यथा प्रतिविरोध करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। वह प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी 1 ने न केवल "अश्वगंधा बाउंस", "पचौली ग्लो" तथा "82ई" के संयोजन में अन्य चिन्हों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया, बल्कि स्वयं भी आवेदन किया। उन्होंने मुझे उक्त आवेदनों से अवगत कराया है, जिन्हें अभिलेख पर रखा गया है।

15. इस तथ्य को छिपाते हुए कि उन्होंने "अश्वगंधा बाउंस", "पचौली ग्लो" और व्यापार चिन्ह के रूप में पंजीकरण के लिए ऐसे अन्य चिह्नों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, वे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 8 अगस्त 2023 को एक शपथ पत्र दायर किया, जिसमें यह प्रतिवाद किया गया कि "अश्वगंधा बाउंस", "हल्दी शील्ड", "लोटस स्प्लैश" और इस तरह के अन्य केवल उत्पाद के नाम थे तथा व्यापार चिह्न नहीं थे, और इन उत्पाद नामों में से प्रत्येक में सामग्री का नाम केवल उत्पाद के नाम की पहचान करने के लिए था। वे प्रस्तुत करते हैं कि यह प्रतिविरोध प्रतिवादी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है क्योंकि उन्होंने वास्तव में उक्त चिह्नों के लिए व्यापार चिह्न के रूप में आवेदन किया है। वास्तव में, प्रतिवादी 1 व 2 ने दिनांक 8 अगस्त 2023 के शपथ पत्र के पैरा 3 (क), (ख) व (ग) में इस प्रकार प्रतिवाद किया है:

3. इस संबंध में, इन प्रतिवादियों का कहना है कि संबंधित पैराग्राफ की विषयवस्तु वास्तविक त्रुटि के कारण तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। इन प्रतिवादियों का कहना है कि वर्तमान शपथपत्र इस माननीय न्यायालय के अभिलेख पर सही तथ्यात्मक स्थिति रखने के लिए दायर किया जा रहा है:

क. के ए इंटरप्राइजेज एलएलपी, जिसमें प्रतिवादी सं. 2 प्रमुख शेयरधारक है और जो प्रतिवादी सं. 1 के लिए एक धारक कंपनी है, ने इसकी उत्पाद श्रेणी के संबंध में ('लोटस स्पलैश' को छोड़कर) तीन प्रकार के चिन्हों हेतु 3 वर्गों अर्थात् वर्ग 1, 3 व 5 में आवेदन किया है:

i. उत्पाद का सरल नाम अश्वगंधा बाउंस, हल्दी शील्ड, गोटू कोला देव, पचौली ग्लो, बकुचियोल स्लिप, लिकोरिस बीम, सुगरकैन सोक एवं जैस्मीन ब्रीज है।

ii. उत्पाद का नाम प्रतिवादी संख्या 1 के मुख्य ब्रांड/व्यापारचिन्ह के साथ संयुक्त है, उदाहरणार्थ 82°ई अश्वगंधा बाउंस तथा 82°ई हल्दी शील्ड। इन ब्रांडों के लिए 'शब्द चिन्ह' के रूप में पंजीकरण की मांग की गई है।

iii. उत्पाद नाम का एक छवि चिन्ह/आकृति चिन्ह प्रतिवादी संख्या 1 के मुख्य ब्रांड/व्यापार चिन्ह के साथ संयुक्त है, उदाहरण के लिए 82ई अश्वगंधा बाउंस और 82ई हल्दी शील्ड है।

ख. इस संबंध में, ये प्रतिवादी कहते हैं कि उपरोक्त () तथा () में वर्णित चिन्हों के पंजीकरण के लिए आवेदन वाद के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं तथा इन प्रतिवादियों का कहना है कि () तथा () में वर्णित पंजीकरण हेतु आवेदन इन प्रतिवादियों के 82ई जैसी मार्की ब्रांड पर आधारित है। वादी इन पंजीकरणों के संबंध में किसी भी अधिकार का प्राख्यान नहीं करता है और न ही कर सकता है क्योंकि वे इन प्रतिवादियों के मार्की ब्रांड 82ई पर आधारित है।

ग. इसलिए इन प्रतिवादियों का कहना है कि संबंधित पैराग्राफ में यह प्राख्यान कि *'वास्तव में, इनमें से कोई भी किसी भी व्यापार चिन्ह पंजीकरण या पंजीकरण की मांग करने वाले आवेदनों का विषय नहीं है'* इसलिए सही नहीं है और यह अनुरोध किया जाता है कि इसे अभिलेख से हटा दिया गया माना जाए।

(जोर दिया गया)

16. यद्यपि, उक्त शपथ पत्र के पैरा 3(ग) में, प्रतिवादी 1 व 2 ने अभिस्वीकार किया है कि लिखित बयान में यह प्राख्यान कि प्रतिवादियों के उत्पादों का कोई भी नाम किसी भी व्यापार चिह्न पंजीकरण या पंजीकरण की मांग करने वाले आवेदनों का विषय नहीं था, गलत था, फिर भी उन्होंने इस तथ्य को छुपाया है कि उन्होंने वास्तव में पंजीकरण के लिए न केवल हस्ताक्षर में उक्त नामों के संबंध में आवेदन किया है, जिनके द्वारा "82ई" के साथ संयोजन, लेकिन अलगाव में भी। उन्होंने, इस उद्देश्य के लिए, पैरा 4(ख) में यह भी प्रतिविरोध किया है कि, एक व्यापार चिह्न के रूप में समग्र रूप से विचार किया जाना

चाहिए, जब किसी अन्य शब्द के साथ संयोजन किया जाता है, तो उस घटक का उपयोग इस तरह से किया जाता है जो नवीन एवं विशिष्ट है, जो सुरक्षा में सक्षम है। पैरा 6(क) में, शपथ पत्र में बताया गया है कि प्रतिवादियों ने व्यापार चिह्न "लोटस स्प्लैश" के पंजीकरण की मांग नहीं की है और आगे यह तर्क देने की मांग की है कि "लोटस स्प्लैश" में "लोटस" शब्द का उपयोग वर्णनात्मक तरीके से किया जाता है, क्योंकि उत्पाद में वास्तव में लोटस का अर्क होता है।

17. श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि "लोटस स्प्लैश" में "लोटस" को वर्णनात्मक नहीं माना जा सकता है, लेकिन उच्चतम स्तर पर, विचारोत्तेजक है। वह प्रस्तुत करते है कि फेस वॉश में लोटस होना आवश्यक नहीं है। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि, एक उपभोक्ता के लिए, संदर्भ का बिंदु चिह्न का नाम है, न कि उसके घटक।

18. **जाइडस वेलनेस प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम सिप्ला हेल्थ लिमिटेड** में इस न्यायपीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए, श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि, व्यापारचिह्न अधिनियम की धारा 30(2)(क) के लाभ के हकदार होने हेतु, प्रतिवादी का पूरा चिह्न वर्णनात्मक होना चाहिए। यहां तक कि अगर "लोटस" को वर्णनात्मक माना जाना था, तो वह प्रस्तुत करते हैं कि "लोटस स्पलैश" सबसे अच्छा विचारोत्तेजक है और यह इस तथ्य की स्पष्ट मान्यता में है कि प्रतिवादी ने "लोटस स्पलैश" को छोड़कर अपने सभी चिन्हों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

19. श्री सिब्बल ने आगे कहा कि भले ही कोई "लोटस स्पलैश" बोतल की जांच करे, तो यह स्पष्ट है कि "लोटस स्पलैश" का उपयोग व्यापार चिह्न के रूप में किया जाता है। चिन्ह 82ई को असंगत रूप से बोतल के पैंदे पर चिह्नित किया जाता है। श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि लोटस स्पलैश बोतल पर निहित पाठ में, वर्णनकर्ता शब्द "लोटस और बायोफ्लेवोनोइड के साथ कंडीशनिंग क्लींजर" है न कि "लोटस स्पलैश"।

20. वे प्रस्तुत करते हैं, बोतल पर वर्णनात्मक "लोटस और बायोफ्लेवोनोइड के साथ कंडीशनिंग क्लींजर" नारा तथा "लोटस स्पलैश" चिह्न में उपयोग की जाने वाली भाषा में एक स्पष्ट अंतर है।

21. श्री सिब्बल ने दिनांक 29 मई 2023 के एक चालान की ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया है, जिसे स्वयं वादी द्वारा अभिलेख पर रखा गया है, जिसमें आक्षेपित उत्पाद को "लोटस स्प्लैश कंडीशनिंग क्लींजर" के रूप में बेचा जाता है। इस चालान में, वह प्रस्तुत करते हैं कि "82ई" का कोई संदर्भ नहीं है।

22. श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि बाजार में भ्रम की संभावना इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि जब कोई "लोटस" के लिए गूगल पर खोज करता है, तो वादी और प्रतिवादी दोनों के उत्पादों को खोज परिणामों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने मुझे प्रतिवादियों के इंस्टाग्राम पेज पर भी संदर्भित किया है,

जो प्रमुख रूप से "लोटस स्पलैश" नाम पर प्रकाश डालता है, जो इस प्रकार है :

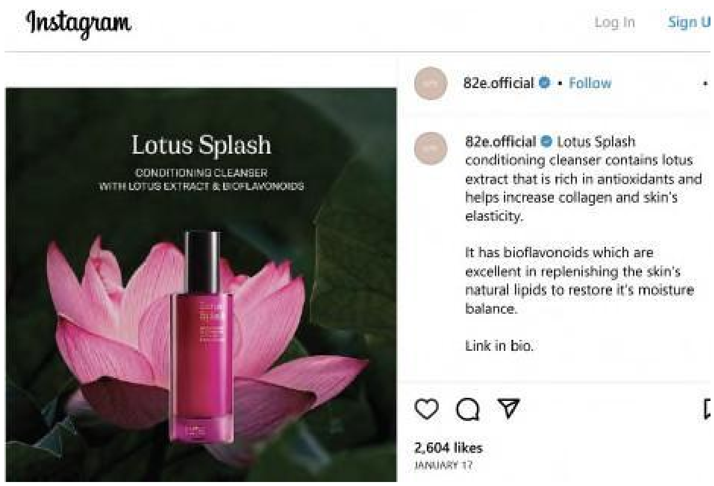

प्रतिवादियों के अन्य इंस्टाग्राम पेजों पर, श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि इस उत्पाद को "लोटस स्पलैश" कहा जाता है। इस प्रकार उत्पाद को प्रतिवादियों के सोशल मीडिया पृष्ठों पर बेचा जा रहा है :

इस प्रकार, वह प्रस्तुत करते हैं, प्रतिवादी "लोटस स्पलैश" का उपयोग अपने व्यापार चिह्न के रूप में कर रहे हैं, न कि केवल वर्णनकर्ता के रूप में।

23. श्री सिब्बल, वादी के "लोटस" रचनात्मक चिह्नों के प्रतिवादियों द्वारा अतिलंघन का आरोप लगाते हुए प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 6 फरवरी 2023 को जारी किए गए विधिक नोटिस का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादियों को इस प्रकार वादी के चिन्ह के बारे में अच्छी तरह से पता था। इसके बाद, वह बताते हैं, प्रतिवादी 1 ने "लोटस स्प्लैश" को छोड़कर, व्यापार चिह्न के रूप में अपने सभी चिन्हों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया।

24. एक अतिलंघनकारी व्यापार चिह्न धारा 30(2)(क) के तहत संरक्षण का हकदार होगा, वह केवल तभी प्रस्तुत करते है, जब वह "विशुद्ध रूप से वर्णनात्मक" हो। चूंकि "वर्णनात्मक" तर्क अतिलंघन के लिए एक ढाल है, इसलिए इसका दायरा संकीर्ण है। वह इस उद्देश्य के लिए, **हेम कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम आई.टी.सी. लिमिटेड** और **जगदीश गोपाल कामथ बनाम लाइम एंड चिली हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज** मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करता है।

25. श्री सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया है कि किस प्रकार से प्रतिवादी "लोटस" शब्द का उपयोग इसे फैंसी शब्द "स्पलैश" के साथ जोड़कर करते हैं। वह ***ज़ाइडस वेलनेस प्रोडक्ट्स*** के ममाले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादीगण धारा 30(2)(क) के तहत इस

आधार पर संरक्षण की मांग नहीं कर सकते हैं कि "लोटस" स्वतः वर्णनात्मक है, क्योंकि पूर्ण चिन्ह वर्णनात्मक प्रकृति का होना चाहिए। सबसे अहम, श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं, "लोटस" को केवल पूर्ण चिन्ह "लोटस स्पलैश" का एक वर्णनात्मक तत्व माना जा सकता है। पूर्ण चिन्ह आशय या प्रभाव में वर्णनात्मक नहीं है। श्री सिब्बल <u>व्यापार चिन्ह एवं अनुचित प्रतिस्पर्धा</u> पर मैकार्थी से प्राप्त "प्रतियोगी की आवश्यकता" और "कल्पना की डिग्री" परीक्षणों का सहारा लेने का आह्वान करते हैं, जिसके अनुसार चिन्ह वर्णनात्मक है या सूचक, इसे निम्नलिखित परीक्षणों के द्वारा तय किया जा सकता है:

(क) उत्पाद के साथ चिह्न को जोड़ने के लिए आवश्यक कल्पना की डिग्री; और

(ख) प्रतियोगी को चिह्न का उपयोग करने की आवश्यकता।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि ये परीक्षण विकसित हुए हैं, क्योंकि धारा 30(2)(क) यह स्पष्ट नहीं करती है कि कब किसी चिह्न को उसमें परिकल्पित वस्तुओं की विशेषताओं का संकेतक कहा जा सकता है। जब तक परिभाषित मापदंडों के भीतर इसे शामिल नहीं किया जाता, तब तक संकेतक शब्द बहुत व्यापक है, और इससे अस्पष्टता जन्म लेगी।

26. *जाइडस वेलनेस प्रोडक्ट्स*, के पैरा 62.6 से 62.10 का एक बार फिर संदर्भ देते हुए श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि "लोटस स्पलैश" को प्रतिवादियों

के उत्पाद का वर्णनात्मक नहीं माना जा सकता है। वह प्रस्तुत करते हैं कि एक उपभोक्ता को लोटस स्प्लैश उत्पाद के ब्रांड नाम के रूप में तुरंत स्पष्ट हो जाएगा और न कि केवल वर्णनकर्ता के रूप में।, वह मुझे *जायडस वेलनेस प्रोडक्ट्स* के पैरा 64.1 व 64.2 , *रेनेसां होटल होल्डिंग्स इंक. बनाम बी. विजय साईं* के पैरा 2, 36 के 38, 49, 50 व 52 से 53, 56 व 76, *अनिल वर्मा बनाम आर. के. ज्वैलर्स एस. के. ग्रुप* के पैरा 22 से 24 और *मैरिको लिमिटेड बनाम एग्रो टेक फूड्स लिमिटेड* का पैरा 1 व 8 के इस संदर्भ में संदर्भित करते हैं।

27. श्री सिब्बल इंगित करते हैं कि धारा 30(2)(क) में उपयोग किए गए शब्द धारा 9(1)(ख) में उपयोग किए गए शब्दों के समान हैं। यदि, इसलिए, प्रतिवादियों के निवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है, तो कल, वे यह दावा करके एक व्यापार चिह्न के रूप में "लोटस स्प्लैश" को पंजीकृत करने में समर्थ होंगे कि इसने समय के साथ प्रतिष्ठा और एक गौण अर्थ प्राप्त कर लिया है।

28. एक बार फिर आग्रह करते हुए कि वर्तमान मामला स्पष्ट अतिलंघन का है, श्री सिब्बल इस आवेदन में मांगी गई अंतर्वर्ती व्यादेश अनुतोष हेतु प्रार्थना करते हैं।

<u>उत्तर में श्री दयान कृष्णन की प्रस्तुतियाँ</u>

29. उत्तर में, श्री दयान कृष्णन प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी स्पष्ट रूप से धारा 30(2)(क) के लाभ के हकदार हैं क्योंकि "लोटस" "लोटस स्पलैश"

उत्पाद का एक प्रमुख घटक है और इसलिए, इसके घटकों का संकेत है। उन्होंने, इस संदर्भ में, प्रतिवादी 1 की वेबसाइट पर आक्षेपित लोटस स्प्लैश उत्पाद के विज्ञापन की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, जहां उत्पाद की तस्वीर के नीचे, निम्नलिखित शीर्षक दिए गए हैं:

लोटस स्पलैश

लोटस और बायोफ्लेवोनोइड्स के साथ कंडीशनिंग क्लींजर

इसके नीचे पाठ दिया गया है:

> लोटस का अर्क एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो रक्त परिसंचरण को बढ़ाने, कोलेजन को बढ़ाने और काले धब्बों और महीन रेखाओं को कम करने के लिए त्वचा के लचीलेपन को बनाए रखने में मदद करता है।

विज्ञापन के दूसरे पृष्ठ पर, श्री दयान कृष्णन बताते हैं कि लोटस स्प्लैश के घटक निर्धारित किए गए हैं जिनमें से एक है "**नेलुम्बो न्यूसीफेरा एक्सट्रैक्ट** - एक लोटस के पौधे का अर्क जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं"।

30. श्री दयान कृष्णन लोटस स्प्लैश के निम्नलिखित विज्ञापनों का भी उल्लेख करते हैं, जो प्रतिवादियों की वेबसाइट पर भी हैं, जिनमें से प्रत्येक में लोटस, या लोटस का अर्क, उत्पाद में एक प्राथमिक घटक के रूप में रेखांकित किया गया है:

(i)
Key Ingredients
Lotus Flower Extract
Bioflavonoids

(ii) 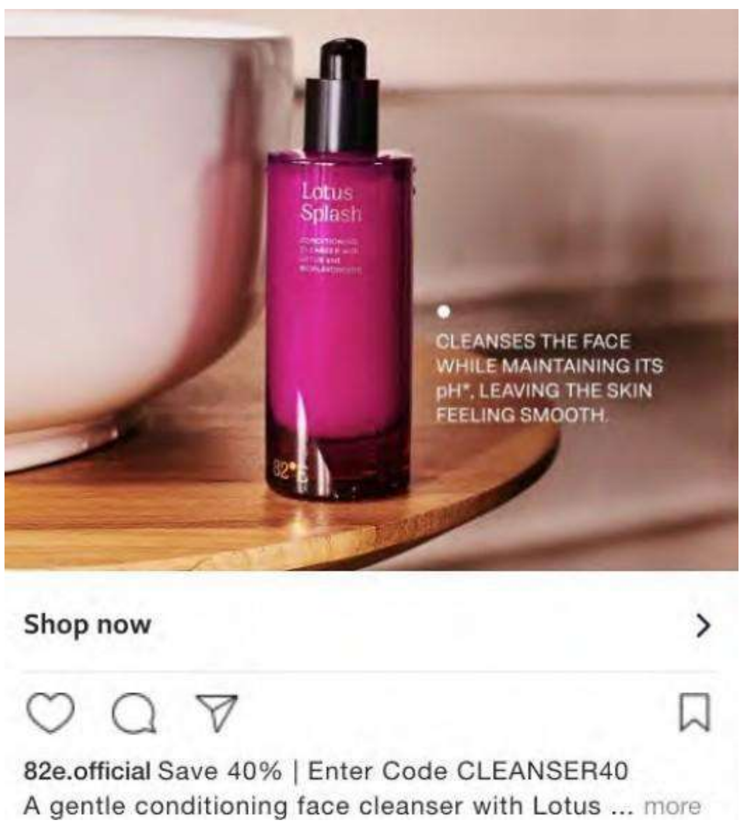
Lotus
Splash
CLEANSES THE FACE
WHILE MAINTAINING ITS
pH*, LEAVING THE SKIN
FEELING SMOOTH.
Shop now
82e.official Save 40% | Enter Code CLEANSER40
A gentle conditioning face cleanser with Lotus ... more

अन्य विज्ञापनों में, उत्पाद के सचित्र प्रस्तुतीकरण के साथ निम्नलिखित पाठ पाया जाता है:

(i) "दीपिका पादुकोण के सेल्फ-केयर ब्रांड 82ई ने अपना चौथा स्किनकेयर उत्पाद लॉन्च किया है। यह क्लींजर लोटस के अर्क और बायोफ्लेवोनोइड्स से समृद्ध है, जो इसे कोलेजन बूस्टर और त्वचा के लिए पुनर्योजी बनाता है। इसके अलावा, यह क्लींजर वीगन और क्रूरता-मुक्त है।"

(ii) एक नया वर्ष अपने साथ अनंत संभावनाएं लाता है। और इसके लिए, इसका इसका मतलब है कि हमारी महत्वाकांक्षा के लिए एक नया पवित्र उत्पाद खोजने की संभावना। चाहे लोटस के अर्क या गोजी बेरीज जैसे नए स्किनकेयर अवयवों के साथ प्रयोग करना हो, या अपनी खास खुशबू ढूँढना हो, हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। तो, यहाँ जनवरी के सौंदर्य लॉन्चर्स का एक राउंड-अप है जिसे हम आपके साथ साझा करने के लिए रोमांचित हैं, ताकि आप अपनी पसंद का कोई उत्पाद चुन सकें।

31. श्री दयान कृष्णन आगे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 30(2)(क) "व्यापार चिन्ह अर्थ में उपयोग" का उल्लेख नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, वह प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी भी धारा 35 के लाभ के हकदार हैं। वह प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी सभी सौंदर्य उत्पादों को 82ई के चिह्न के अंतर्गत इसी प्रकार बेचते

हैं। इसमें प्रामाणिकता का कोई अभाव नहीं है। प्रत्येक उत्पाद पर, 82ई चिह्न प्रमुखता से अंकित होता है।

32. *श्री दयान कृष्णन* अपनी प्रस्तुतीकरण के समर्थन में ***जायडस वेलनेस प्रोडक्ट्स*** के पैरा 76 व 77 तथा ***कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड*** के पैरा 2,3,5,8 व 9 क्क अवलंब लेते हैं। वास्तव में, श्री दयान कृष्णन बताते हैं कि ***कैडिला हेल्थ केयर*** में खण्ड पीठ ने उस सुरक्षात्मक कैविएट को भी हटा दिया जिसे एकल न्यायाधीश ने लागू किया था जिसके तहत उस मामले में प्रतिवादी को एक वाक्य के हिस्से के रूप में या एक आकर्षक किंवदंती के रूप में "शुगर फ्री" अभिव्यक्ति का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी ताकि किसी उत्पाद की विशेषता का वर्णन किया जा सके। इसलिए, किसी उत्पाद पर वर्णनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करने का आत्यंतिक अधिकार है, और इस तरह के उपयोग के खिलाफ कोई व्यादेश नहीं हो सकता है।

33. श्री दयान कृष्णन ने बार को वादी और प्रतिवादी के उत्पादों का निम्नलिखित तुलनात्मक सारणीबद्ध विवरण भी सौंपा, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि भ्रम की कोई संभावना नहीं है:

अन्तर	वादी	प्रतिवादी
बिक्री कि प्रणालीयाँ	वादी अपने उत्पादों को खुदरा स्टोर, अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट और अन्य तृतीय पक्षकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचता है।	प्रतिवादियों के उत्पाद को विशेष रूप से प्रतिवादी की वेबसाइट .82. के माध्यम से बेचा जाता है। वेबसाइट पर आने वाले व्यक्ति, इसे प्रतिवादी संख्या 2 की सद्भावना से जोड़ते हैं।
मूल्य निर्धारण	वादी के उत्पादों को 140 से 390 के बीच में बेचा जाता है।	प्रतिवादी के उत्पादों का मूल्य 4 गुना अधिक है तथा उल्लंघनकारी उत्पाद का खुदरा मूल्य 1200 है।
सज्जा	वादी के उत्पाद में उसके उत्पाद के संबंध में संपूर्णता में "लोटस हर्बल्स" का चिह्न होता है जिसे शैलीबद्ध तरीके से दर्शाया गया है। एक विस्तृत जांच में यह देखा गया है कि 'लोटस' शब्द को एक बड़े प्रमुख फ़ॉन्ट में दिखाया गया है, जिसमें अक्षर " को अर्धचंद्र एवं खिलते लोटस के पौधे के संयोजन के रूप में दिखाया गया है, और 'हर्बल्स' शब्द का उपयोग वाणिज्य में वादी के कमल चिह्न के प्रत्यय के रूप में किया जाता है और इसे सब-टैगलाइन के रूप में दर्शाया गया है	इसकी तुलना में प्रतिवादी उत्पाद लोटस स्पलैश को बिना किसी शैलीबद्ध फ़ॉन्ट और/या चिन्ह के दर्शाया गया है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि पूरे शब्द 'लोटस स्पलैश' को सिका फॉन्ट में एक सामान्य आकार में दर्शाया गया है और इसका उद्देश्य एक उत्पाद का वर्णनकर्ता होना है जो आम जनता को सूचित करता है कि ब्रांड के तहत पेश किए गए उक्त उत्पाद में लोटस एसेंस शामिल है।

34. उत्पादों का एक तुलनात्मक चित्रण इस प्रकार वर्तमान आवेदन के उत्तर में प्रदान किया गया है, इस बात पर जोर देने के लिए कि वे दिखने में पूरी तरह से भिन्न हैं:

वादी का क्लीन्ज़र उत्पाद	**प्रतिवादी' का क्लीन्ज़र उत्पाद**

35. श्री दयान कृष्णन अपनी प्रस्तुतियों का समर्थन करने के लिए मैरिको के पैरा 10, 12, 35 व 37 से 39 पर भरोसा जताते हैं।

36. प्रसंगोचित रूप से श्री सिब्बल का यह प्रतिविरोध कि प्रतिवादी 1 ने व्यापार चिह्न के रूप में उपयोग किए जाने वाले अन्य समान चिह्नों को पंजीकृत

करने के लिए आवेदन किया था, श्री दयान कृष्णन ने प्रस्तुत किया कि, भले ही इस तरह के आवेदन वर्णनात्मक व्यापार चिह्नों के पंजीकरण की मांग करते हुए दायर किए गए थे, उन्हें सबसे विकत परिस्थिति में अनुचित माना जा सकता है, और वर्तमान मामले में प्रतिवादियों के खिलाफ विबंध के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

प्रत्युत्तर में श्री सिब्बल की प्रस्तुतियाँ

37. सबसे पहले, उन विभिन्न विज्ञापनों का उल्लेख करते हुए, जिनकी ओर श्री कृष्णन ने ध्यान आकर्षित किया था, श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि, जबकि विज्ञापनों में "लोटस" का संदर्भ दिया गया हो सकता है, और उसमें नारे और पाठ, वर्णनात्मक तरीके से, इसका अर्थ यह नहीं है कि "लोटस स्पलैश" स्वतः एक चिह्न के रूप में वर्णनात्मक है। उच्चतम स्तर पर, वह प्रस्तुत करता है कि "लोटस स्पलैश" को एक विचारोत्तेजक चिह्न माना जा सकता है। यह "शुगर फ्री" या "लो अब्सॉर्ब" के विपरीत है जो क्रमशः ***कैडिला हेल्थ केयर*** और ***मैरिको*** में विचार का विषय थे।

38. श्री सिब्बल आगे बताते हैं कि, जब प्रतिवादियों ने गलत बयान दिया कि उन्होंने अपने व्यापार चिह्नों के पंजीकरण के लिए कोई व्यापारचिह्न आवेदन दायर नहीं किया था - जैसे "पचौली ग्लो", "हल्दी शील्ड", "लीकोरिस बीम" और इसी तरह के अन्य - जिसे न्यायालय के ध्यान में लाया गया था, प्रतिवादियों ने इसे "अधिवक्ता की त्रुटि" कहकर गलत बयान पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए एक शपथपत्र

दायर किया। उक्त शपथपत्र में, प्रतिवादियों ने यह भी कहा था कि उन्होंने "लोटस स्पलैश" चिह्न के पंजीकरण की मांग नहीं की थी, और प्रतिवादी वर्णनात्मक तरीके से "लोटस स्पलैश" में "लोटस" का उपयोग कर रहे थे। वे प्रस्तुत करता हैं कि यह "लोटस स्पलैश" चिह्न के वर्णनात्मक उपयोग का गठन नहीं करता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *जाइडस वेलनेस प्रोडक्ट्स* में अभिनिर्धारित किया गया है।

39. श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि **कैडिला हेल्थ केयर** शुद्ध रूप से चला देने का मामला है, क्योंकि उस मामले में वादी का चिह्न अपंजीकृत था। उस मामले में, इसके अतिरिक्त, एक विशिष्ट निष्कर्ष था कि निर्णय के पैरा 3(छ) में "शुगर फ्री" चिह्न "प्रकृति में स्वाभाविक रूप से वर्णनात्मक" था, जिसका अर्थ था कि यह पंजीकरण के लिए अयोग्य था। इसलिए, कैडिला हेल्थ केयर मामले में की गई टिप्पणियां मूलतः पंजीकरण के अधिकार और शुगर फ्री चिह्न पर विशिष्टता का दावा करने के अधिकार से संबंधित थीं। इसके विपरीत, वादी "लोटस" चिह्नों के लिए वैध पंजीकरण का धारक है, जिसकी वैधता पर कभी प्रश्न नहीं उठाया गया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि सौंदर्य प्रसाधनों हेतु "लोटस" शब्द, "शुगर फ्री" के विपरीत, स्वाभाविक रूप से वर्णनात्मक नहीं है। इसके अतिरिक्त, **कैडिला हेल्थ केयर** में भी एक निष्कर्ष यह था कि प्रत्यर्थी को शुगर फ्री शब्द का उपयोग केवल वर्णनात्मक अर्थ में और व्यापारचिन्ह अर्थ में नहीं करने से रोका नहीं जा सकता था। श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि वादी की यह शिकायत कि प्रतिवादी लोटस स्प्लैश शब्द का प्रयोग विशुद्ध रूप से वर्णनात्मक अर्थ में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे व्यापारचिन्ह के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। वह ***कैडिला***

हेल्थ केयर के पैरा 3(घ) से (ज), 5 व 11 पर विशेष रूप से भरोसा जताते हैं, और प्रस्तुत करते हैं कि *कैडिला हेल्थ केयर* के पैरा 14 में निम्नलिखित निष्कर्ष स्पष्ट रूप से वादी के मामले को कवर करता है:

> प्रत्यर्थी द्वारा 'शुगर फ्री' शब्द का मात्र वर्णनात्मक उपयोग अपीलार्थी द्वारा विशिष्टता के दावे की धार को कुंद कर सकता है। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई पक्ष 'शुगर फ्री' व्यापार चिह्न के साथ कृत्रिम मिठास के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो अपीलार्थी के पास प्रतिबंध लगाने का उचित कारण हो सकता है।

श्री सिब्बल *मैरिको* के पैरा 8 से 12 व 29 का भी अवलंब लेते हैं।

40. श्री सिब्बल ने दोहराया कि, 'पचौली ग्लो', 'लिकोरिस बीम' एवं उनके द्वारा व्यापारचिह्न के रूप में उपयोग किए जाने वाले अन्य चिह्नों के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के बाद, प्रतिवादियों की ओर से यह कहना स्पष्ट रूप से झूठ होगा कि 'लोटस स्प्लैश' वर्णनात्मक चिह्न है। यद्यपि प्रतिवादी 1 उक्त चिह्नों के पंजीकरण के लिए आवेदन वापस ले लेता है, फिर भी उसे वह यह अभिवचन देने से विबंध रहेगा कि 'लोटस स्प्लैश' एक वर्णनात्मक चिह्न है, और इस उद्देश्य के लिए वह *अनिल वर्मा* के निर्णय के पैरा 20 को उद्धृत करता है।

41. श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादियों द्वारा तैयार किया गया और पैरा 33 (पूर्वोक्त) में उद्धृत किया गया सारणीबद्ध बयान, वादी द्वारा लगाए गए अतिलंघन के आरोप का उत्तर नहीं देते है। उन्होंने इस संदर्भ में *जाइडस वेलनेस प्रोडक्ट्स* के पैरा 56.10 का भी हवाला दिया है।

42. इस उद्देश्य हेतु, *आईसीएआई बनाम **भारतीय लागत लेखाकार संस्थान*** में इस न्यायालय के निर्णय के पैरा 34 से 38 पर भरोसा जताते हुए, श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि, चूंकि वादी के 'लोटस' कुटुंब में चिन्हों की सद्भावना वाद में प्रकथनों से स्पष्ट है, जिन्हें अस्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए चला देने का एक स्पष्ट मामला बनता है।

43. श्री सिब्बल निष्कर्ष में प्रस्तुत करते हैं कि, 'लोटस स्प्लैश' बोतलों पर, "82ई" की तुलना में 'लोटस स्पलैश' को **विशेष** प्रमुखता दी जाती है। इसलिए, औसत बुद्धि एवं अपूर्ण स्मरण वाले उपभोक्ता के मन में प्रारंभिक हित भ्रम की उच्च संभावना है।

विश्लेषण

. <u>व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 29 के अतिलंघन का पहलू</u>

44. व्यापारचिह्न का अतिलंघन एक सांविधिक अपकृत्य है, जिसकी सीमाओं को व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 29 द्वारा वर्णित किया गया है। अतिलंघित किए गए चिह्न को पंजीकृत करना होगा। इस आवश्यक शर्त के अनुपालन के अधीन, धारा 29 की उप-धारा (1) से (5) एवं (7) से (9) द्वारा परिकल्पित परिस्थितियों का अस्तित्व तथ्यतः अतिलंघन का संकेत देगा। ये सभी उप-धाराएं वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं हैं।

45. वादी जिन चिन्हों का दावा करता है, वे सभी पंजीकृत व्यापार चिन्ह हैं। इस प्रकार, धारा 29 की यह मौलिक पूर्व-आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है।

46. धारा 29 की विभिन्न उप-धाराओं में से, उप-धारा (1) व (7) से (9) एक ऐसे मामले से निपटती है जिसमें कथित रूप से अतिलंघित चिह्न पंजीकृत व्यापार चिह्न के समान है जिसका अतिलंघन किया गया है। ये उप-धाराएं लागू नहीं होती हैं, क्योंकि कथित रूप से अतिलंघन करने वाला चिह्न "लोटस" नहीं बल्कि "लोटस स्पलैश" है, जबकि वादी "लोटस स्पलैश" चिह्न के लिए कोई पंजीकरण नहीं रखता है। उप-धारा (3) उस स्थिति में लागू होती है जिसमें मामला धारा 2(ग) के भीतर आता है, जो पुनः वहां लागू होता है जहां दोनों चिन्ह समान हैं। इसलिए, वर्तमान मामले में न तो उप-धारा 2(ग) और न ही उप-धारा (3) लागू होगी।

47. उप-धारा (4) वहाँ लागू होती है जहाँ वे वस्तु जिसके संबंध में परस्पर विरोधी चिह्न लगाए गए हैं, एक दूसरे के समान नहीं हैं। जहाँ तक वादी का मामला है कि प्रतिवादी उन वस्तुओं के लिए आक्षेपित "लोटस स्पलैश" चिह्नों का उपयोग कर रहे हैं जो उन सामानों के समान हैं जिनके संबंध में वादी "लोटस" रचनात्मक चिह्नों का उपयोग करता है, धारा 29(4) लागू नहीं होती है।

48. धारा 29(5) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यापार चिह्न का उपयोग उसके व्यापारिक नाम या संबंधित व्यवसाय के नाम के रूप में करने से संबंधित है। अतः यह उपबंध भी लागू नहीं होता है।

49. वर्तमान मामले के तथ्यों में अतिलंघन का पहलू, इसलिए, धारा 29 (2)(क) एवं (ख) तक अवरुद्ध नहीं है।

50. धारा 29(2)(क) एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करती है जिसमें परस्पर विरोधी चिन्ह तद्रूप होते हैं और जिन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में उनका उपयोग किया जाता है, वे समान होते हैं। धारा 29(2)(ख) एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करती है जिसमें परस्पर विरोधी चिह्न समान हों और जिन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में उनका उपयोग किया जाता है वे या तो तद्रूप हों या समान हों। चूंकि वर्तमान मामले में परस्पर विरोधी चिन्ह समान नहीं हैं, धारा 29(2)(क) लागू नहीं होगी। इसलिए, मामला धारा 29(2)(ख) तक संकुचित हो जाता है।

51. धारा 29(2)(ख) के अर्थ के भीतर, अतिलंघन के निष्कर्ष हेतु तीन संचयी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। वे हैं, सबसे पहले, कि प्रतिद्वंद्वी चिन्ह समान होने चाहिए; दूसरा, उनका उपयोग तद्रूप या समान वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में किया जाना चाहिए और तीसरा, इन दो कारकों/परिस्थितियों के अस्तित्व के कारण, जनता या जनता की ओर से भ्रम की संभावना हो कि चिन्हों के बीच संबंध है।

52. जब इसकी जांच की जाती है कि क्या ये तीनों परिस्थितियाँ वर्तमान मामले में संतुष्ट हैं, तो पहला पहलू जो तुरंत स्पष्ट हो जाता है वह यह है कि शब्द चिन्ह लोटस स्वतः, विभिन्न अन्य शब्द चिह्नों और आकृति चिह्नों के अतिरिक्त, जो लोटस के साथ अन्य प्रत्ययों जैसे लोटस हर्बल्स, लोटस सैलून, लोटस स्पा और इसी तरह के अन्य का उपयोग करते हैं, वादी के पक्ष में व्यापार चिह्न के रूप में पंजीकृत है। जिन वर्गों में शब्द चिन्ह लोटस या लोटस रचनात्मक चिन्ह वादी के पक्ष में पंजीकृत हैं, उनमें से वर्ग 3 कॉस्मेटिक उत्पादों, इत्र, टॉयलेट एंड बाथ लोशन तथा सौंदर्य उत्पादों से संबंधित है और वर्ग 5 औषधीय, आयुर्वेदिक एवं औषधीय उत्पादों से संबंधित है। हालांकि प्रतिवादियों का आक्षेपित लोटस स्पलैश चिह्न पंजीकृत नहीं है, और प्रतिवादियों ने इसके पंजीकरण की मांग नहीं की है, यह स्पष्ट है कि उत्पाद उन वर्गों से संबंधित हैं जिनमें शब्द चिन्ह लोटस वादी के पक्ष में पंजीकृत है।

53. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी द्वारा चेहरे की सफाई के लिए फेस क्लींजर/चेहरा धोने के लिए फेस वाश "लोटस स्पलैश" चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जिन वस्तुओं के संबंध में प्रतिवादीगण आक्षेपित चिन्ह "लोटस स्पलैश" का उपयोग कर रहे हैं, वे संबद्ध हैं और कुछ हद तक उन वस्तुओं के समान हैं जिनके संबंध में वादी अपने पंजीकृत "लोटस" रचनात्मक चिह्नों का उपयोग करता है।

54. पुनः, यह स्पष्ट है कि "लोटस" "लोटस स्पलैश" चिह्न का प्रमुख हिस्सा है जो औसत बुद्धि और अपूर्ण स्मरण वाले उपभोक्ता के मानस पटल पर तुरंत अपनी छाप डालता है, जिसके दृष्टिकोण से अतिलंघन के पहलू की जांच की जानी चाहिए, जैसा कि *अमृतधारा फार्मेसी बनाम सत्य देव गुप्ता* में अभिनिर्धारित किया गया है। ऐसे उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, जिसने पहले वादी के "लोटस" के रचनात्मक चिन्ह देखे हैं, जो सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य त्वचा उपचारों पर उपयोग किए जाते हैं, और जो बाद में प्रतिवादियों के "लोटस स्पलैश" उत्पाद में आता है, जाहिर है कि उपभोक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के उत्पाद को वादी के उत्पाद से जोड़ने की संभावना है। यहाँ तक कि जोड़ने की संभावना भी अतिलंघन का गठन करने के लिए पर्याप्त है। लागू की जाने वाली जांच प्रारंभिक हित भ्रम में से एक है, और अतिलंघन के अस्तित्व में होने के लिए उपभोक्ता को प्रतिवादी के उत्पाद को देखकर आश्चर्य की स्थिति में रखा जाना आवश्यक है, जिसने पहले वादी का उत्पाद देखा था।

55. *श्री नाथ हेरिटेज बनाम एलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलर्स* में इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के निर्णय में इस संबंध में सिद्धांतों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है।

56. *प्रथम दृष्टया* स्तर पर इस न्यायालय के लिए यह महसूस करने का कोई कारण नहीं है कि औसत बुद्धिमत्ता और अपूर्ण स्मृति वाले एक उपभोक्ता, जिसने पहली बार वादी के "लोटस हर्बल" उत्पाद को देखा है और बाद में, प्रतिवादियों

के "लोटस स्पलैश" फेस वॉश सामने आता है, कम से कम पहली नज़र में, न्यायालय के बीच एक संबंध पर विश्वास करने के लिए इच्छुक नहीं होगा। विशेष रूप से दोनों उत्पादों में, दोनों नामों में, "लोटस" प्रमुख भाग है।

57. इसके अतिरिक्त, जहां वादी के पास एक शब्द चिन्ह पंजीकरण है और वादी का पूरा शब्द चिन्ह प्रतिवादीगण के आक्षेपित उत्पाद नाम में निहित है, वहां भ्रम की स्पष्ट संभावना है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें वादी के चिन्ह का हिस्सा प्रतिवादियों के आक्षेपित चिन्ह में पाया जाता है, ताकि दोनों चिन्हों के बीच विद्यमान अंतर से भ्रम को कम करने की संभावना हो। पूरा चिह्न "लोटस" प्रतिवादियों के "लोटस स्पलैश" चिह्न का भाग है और चूंकि दोनों चिह्नों का उपयोग चेहरे को धोने जैसे सौंदर्य उत्पादों के लिए किया जाता है, इसलिए प्रतिवादियों द्वारा आक्षेपित "लोटस स्पलैश" चिन्ह के उपयोग के परिणामस्वरूप प्रथमदृष्टया भ्रम की संभावना है।

58. चिह्नों की समानता के तीन घटक, वस्तुओं की समानता/पहचान जिसके संबंध में प्रतिद्वंद्वी चिह्नों का उपयोग किया जाता है और इन दो कारकों के अस्तित्व के परिणामस्वरूप जनता के मन में भ्रम या जुड़े होने की संभावना वर्तमान मामले में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होती है।

59. चूंकि वादी के चिन्ह पंजीकृत हैं, इसलिए व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 29 के अर्थ के भीतर अतिलंघन के लिए एक प्रथमदृष्टया मामला मौजूद है।

. <u>व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 30(2)(क) के विषय में अतिलंघन का पहलू।</u>

60. हालाँकि, यह तभी संभव है जब कोई मामले को धारा 29 की दृष्टि से देखे। व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 30(2) धारा 29 का अपवाद है। धारा 30(2) के शब्द महत्वपूर्ण हैं। धारा 30(2), अपने विभिन्न खंडों (क) से (ङ) में उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिनमें पंजीकृत व्यापार का अतिलंघन नहीं होता है। इस प्रकार, यदि उक्त परिस्थितियों में से कोई भी लागू होती है, तो यह अतिलंघन नहीं है। उस स्थिति में, धारा 29 का अवलंब लेने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि धारा 30(2) स्पष्ट रूप से धारा 29 पर अध्यारोही होगा।

61. श्री दयान कृष्णन धारा 30(2)(क) का लाभ उठाना चाहते हैं, जिसमें प्रावधान है कि वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में पंजीकृत व्यापार चिन्ह का उपयोग, माल के प्रकार, गुणवत्ता, मात्रा, इच्छित उद्देश्य, मूल्य, भौगोलिक मूल, माल के उत्पादन का समय या सेवाओं को प्रदान करने या माल या सेवाओं की अन्य विशेषताओं को इंगित करने के लिए, अतिलंघन नहीं होगा।

62. इस खंड में दो महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है। पहला है उपदर्शित करना । दूसरा है "या वस्तुओं या सेवाओं की अन्य विशेषताएं"। ये दो अभिव्यक्तियाँ हैं जो अपने अर्थ एवं विस्तार में संक्षिप्त हैं, जबकि इस खंड में पाई जाने वाली अन्य अभिव्यक्तियाँ सटीक हैं।

63. शब्द "उपदर्शित" कला का शब्द नहीं है। यह सामान्य अंग्रेजी उपयोग का शब्द है। पी. रामनाथ अय्यर के लॉ लेक्सिकन में, "संकेत" को "इंगित करना" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, जो कुछ भी वस्तुओं या सेवाओं के किसी विशेष पहलू की ओर इशारा करता है, वह उस पहलू का संकेत है। इसलिए, यदि किसी पंजीकृत व्यापार चिन्ह का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह से किया जाता है कि इसका उपयोग वस्तुओं के प्रकार, गुणवत्ता, मात्रा, इच्छित उद्देश्य, मूल्य, भौगोलिक उत्पत्ति, माल के उत्पादन या सेवाओं के प्रदान करने के समय या वस्तुओं की अन्य विशेषताओं को इंगित करता है, तो धारा 30 (2) (क) सीधे तौर पर लागू होती है।

64. श्री सिब्बल ने दो परीक्षणों को लागू करने का प्रयास किया, जो मैकार्थी के व्यापार चिन्ह और अनुचित प्रतिस्पर्धा में स्थान पाते हैं, अर्थात, प्रतियोगियों को परीक्षण और कल्पना परीक्षण की डिग्री की आवश्यकता होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन परीक्षणों को इस न्यायालय के कुछ एकल न्यायपीठों द्वारा अंतर्वर्ती आदेशों में लागू किया गया है। हालांकि, अत्यंत सम्मानजनक रूप से मैं यह नहीं देख पा रहा हूं कि इन परीक्षणों को लागू करके, जो व्यापार चिन्ह अधिनियम में व्यापार चिन्ह और व्यापार चिन्ह अतिलंघन पर एक स्व-निहित संहिताबद्ध संविधि के रूप में स्थान नहीं पाते हैं, शब्द "उपदर्शित" के दायरे को इस तरह से सीमित किया जा सकता है। मेरे विचार से, शब्द "उपदर्शित" को,

व्यापार चिन्ह अधिनियम में इसके विपरीत किसी अन्य संकेत के अभाव में, इसको पूरा दायरा एवं प्रभाव दिया जाना चाहिए।

65. कुछ हद तक कम स्वाभाविक तरीके से व्यक्त किया जाए तो, प्रतिवादी को धारा 30(2)(क) के तहत अपने बचाव का अभिवचन देते समय प्रतियोगी की आवश्यकता या कल्पनाशक्ति परीक्षणों द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, भले ही वे कितने भी सहायक हों। प्रतिवादी यह प्रतिविरोध करने के लिए सदैव स्वतंत्र होता है कि आक्षेपित चिह्न धारा 30(2)(क) में परिकल्पित एक या अधिक विशेषताओं को उपदर्शित करता है और इसलिए, प्रकृति में अतिलंघंकारी नहीं है, और इस तरह के बचाव को, उस चिह्न की तुलना उन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में जांच करके न्यायनिर्णीत किया जाना चाहिए जिनके संबंध में प्रतिवादी द्वारा इसका उपयोग किया जाता है।

66. श्री सिब्बल द्वारा इस तथ्य के बारे में बहुत कुछ कहने की मांग की गई थी कि प्रतिवादियों ने व्यापार चिन्ह अधिनियम के अंतर्गत "लिकोरिस बीम" "हल्दी शील्ड" और इसी प्रकार के चिन्हों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और लोटस स्पलैश के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया था। यह भी प्रतिविरोध किया गया था कि इस तथ्य को लिखित कथन में छुपाया गया था और इस कारण से भी, प्रतिवादी इस न्यायालय से किसी भी हस्तक्षेप के हकदार नहीं हैं।

67. तथ्यों को छिपाने या दबाने की प्रत्येक प्रकृति को दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता। केवल महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना ही, जिसे प्रकट करने से अंतिम निष्कर्ष पर फर्क पड़ेगा, इतना कुटिल माना जा सकता है कि दबाने वाला पक्षकार न्यायसंगत अनुतोष पाने का हकदार नहीं रह जाएगा।

68. वर्तमान विवाद "लिकोरिस बीम", "हल्दी शील्ड" या प्रतिवादियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी अन्य चिह्न से संबंधित नहीं है, बल्कि केवल "लोटस स्पलैश" चिन्ह से संबंधित है। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादियों ने व्यापार चिन्ह अधिनियम के तहत व्यापार चिन्ह के रूप में "लोटस स्प्लैश" चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसा होने पर, व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 30(2)(क) को अपने बचाव में इसका अवलंब लेने वाले प्रतिवादियों के खिलाफ किसी भी विबंध का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

69. जहां तक धारा 30(2)(क) के लागू होने का सवाल है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी पंजीकृत व्यापार चिन्ह का इस तरह से उपयोग करना जिससे माल या सेवाओं के प्रकार, गुणवत्ता, मात्रा, इच्छित उद्देश्य, मूल्य, भौगोलिक उत्पत्ति, उत्पादन का समय या अन्य विशेषताओं का संकेत मिलता हो, वह अतिलंघन नहीं है। श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि "लोटस स्प्लैश" चिन्ह धारा 30(2)(क) के लाभ के लिए योग्य नहीं है क्योंकि यह वर्णनात्मक नहीं है, बल्कि केवल प्रतिवादियों के उत्पाद का सूचक है, प्रथमदृष्टया प्रभावित

करने में विफल रहता है। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी के उत्पाद की सामग्री में से एक लोटस है। श्री दयान कृष्णन ने विभिन्न विज्ञापनों से न्यायालय को अवगत कराया है - जिसका संदर्भ पैरा 29 व 30 (उपरोक्त) में भी पाया जाता है - जो उपदर्शित करता है कि प्रतिवादी जानबूझकर उत्पाद "लोटस स्पलैश" का विज्ञापन कर रहे थे जिसमें कमल के पुष्प का अर्क एक प्रमुख घटक के रूप में था। "लोटस "समग्र चिह्न" लोटस स्पलैश "का एक ऐसा प्रमुख हिस्सा है जो उत्पाद के एक प्रमुख घटक के रूप में लोटस के फूल के अर्क के चिह्न को प्रथमदृष्टया संकेत देता है, और इसलिए, ताकि प्रतिवादियों को व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 30(2)(क) का लाभ मिल सके। मेरी सुविचारित राय में, यह नहीं माना जा सकता है कि "लोटस स्प्लैश" चिन्ह प्रकृति में केवल सांकेतिक है।

70. इसके अतिरिक्त, वर्णनात्मक और सूचक चिन्हों के बीच का अंतर वास्तव में गंभीर महत्व का नहीं है, जहां धारा 30(2)(क) की प्रयोज्यता का संबंध है। धारा 30(2)(क) वादी के पंजीकृत व्यापार चिन्ह के उपयोग को "अतिलंघन" के दायरे से बाहर रखती है, जहां उपयोग खंड द्वारा परिकल्पित उत्पाद की विभिन्न विशेषताओं का संकेत देता है। वस्तुओं के शब्द, "प्रकार", "गुणवत्ता" और "अन्य विशेषताएं" अपने दायरे और परिधि में व्यापक और संक्षिप्त हैं। "लोटस स्प्लैश" चिन्ह के एक भाग के रूप में "लोटस" का उपयोग स्पष्ट रूप से कम

से कम "उत्पाद की विशेषता" का संकेत देता है, क्योंकि इसमें एक प्रमुख घटक के रूप में, कमल के फूल का अर्क होता है।

71. कुछ भी हो, तो इसे प्रतिवादी के उत्पाद की बोतल पर "लोटस स्प्लैश" के चिन्ह के नीचे दिए गए विवरण से रेखांकित किया जाता है, जिसमें लिखा होता है "लोटस और बायोफ्लेवोनोइड के साथ कंडीशनिंग क्लींजर"। इसलिए, प्रतिवादियों के उत्पाद में एक प्रमुख घटक के रूप में लोटस को इस विवरण में सशक्त रूप से रेखांकित किया गया है। यह विवरण आक्षेपित "लोटस स्प्लैश" चिन्ह के तुरंत बाद है। यह धारणा कि प्रतिवादियों द्वारा उपयोग किए गए "लोटस स्प्लैश" शब्द, एक औसत बुद्धि और अपूर्ण स्मृति वाले उपभोक्ता के दिमाग में व्यक्त करते हैं, मेरे विचार से, उस विवरण से प्रभावित होने के लिए बाध्य है जो उक्त चिन्ह के बिलकुल नीचे है। अन्यथा व्यक्त किए जाने पर, उसे उपभोक्ता की नज़र "लोटस स्पलैश" पर समान रूप से पड़ेगी और साथ ही "लोटस स्पलैश" के नीचे दिए गए वर्णनात्मक स्पष्टीकरण पर भी, जिसमें लिखा है "लोटस और बायोफ्लेवोनोइड के साथ कंडीशनिंग क्लींजर"। इस प्रकार देखे जाने वाले "लोटस स्प्लैश" शब्द, ऐसे उपभोक्ता को तुरंत यह धारणा देते हैं कि उत्पाद में लोटस इसके प्रमुख अवयवों में से एक है।

72. यह याद रखना होगा कि धारा 30(2)(क) के लाभ हेतु प्रतिवादियों को उपलब्ध होने के लिए केवल यह आवश्यक है कि आक्षेपित चिन्ह खंड में परिकल्पित एक या अधिक कारकों का संकेत है। चिन्ह का "*स्वतः वर्णनकर्ता*"

होना आवश्यक नहीं है। यदि, इसलिए, चिन्ह एक या एक से अधिक विशेषताएं, या कारकों के अस्तित्व को इंगित करता है, जिनके बारे में खंड आगे बोलता है, तो खंड लागू होता है। प्रतिवादी के आक्षेपित उत्पाद के एक घटक के रूप में लोटस के अर्क की प्रमुखता को देखते हुए, जैसा कि श्री दयान कृष्णन द्वारा उद्धृत विषयवस्तु से स्पष्ट है, उपनाम "लोटस स्प्लैश" स्पष्ट रूप से एक घटक के रूप में लोटस के अर्क के अस्तित्व का संकेत देता है। यह धारा 30(2)(क) के लागू होने के लिए पर्याप्त है।

73. श्री सिब्बल ने यह भी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया कि प्रतिवादी "लोटस स्प्लैश" में "लोटस" शब्द को वर्णनात्मक प्रकृति का होने का अभिवचन कर रहे थे और इस पीठ द्वारा **जाइडस वेलनेस प्रोडक्ट्स** में दिए गए निर्णय के मद्देनजर इस तरह का प्रतिविरोध संधार्य नहीं है। कम से कम प्रथम दृष्टया स्तर पर तो इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय इस बात से चिंतित है कि प्रतिवादी द्वारा आक्षेपित चिन्ह का उपयोग धारा 30(2)(क) में परिकल्पित प्रतिवादी के उत्पाद की विशेषताओं का संकेत है या नहीं। औसत बुद्धिमत्ता और अपूर्ण स्मृति वाले एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखते हुए, मैं प्रथमदृष्टया आश्वस्त हूं कि "लोटस स्प्लैश" शब्द तुरंत एक औसत उपभोक्ता को यह धारणा देते हैं कि उत्पाद में "लोटस" एक प्रमुख घटक के रूप में है।

74. इस संदर्भ में यह ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि धारा 30(2)(क) "अतिलंघन" अभिव्यक्ति के दायरे को अतिरिक्त, पंजीकृत व्यापार चिन्ह का

"उपयोग" उस तरीके से किया जाता है जो उस वस्तु की विभिन्न विशेषताओं को उपदर्शित करता है जिस पर खंड द्वारा परिकल्पित चिह्न का उपयोग किया जाता है। इसलिए, चिन्ह का उपयोग ही निर्णायक है। इसलिए, जिस वस्तु पर चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उसके संबंध में इस तरह के उपयोग के तरीके को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादियों द्वारा उत्पाद की बोतल पर लोटस स्प्लैश चिह्न का उपयोग किया जाता है। इन शब्दों के तुरंत बाद लोटस और बायोफ्लेवोनोइड के साथ कंडीशनिंग क्लींजर का वर्णन आता है। जिन वस्तुओं पर आक्षेपित चिह्न लोटस स्पलैश का प्रयोग किया गया है, उसके संबंध में यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उत्पाद में प्रमुख घटक के रूप में लोटस का अर्क मौजूद है।

75. प्रतिवादियों के सोशल मीडिया वेब पेज या विज्ञापनों पर "लोटस स्प्लैश" के उपयोग के साथ प्रतिवादियों के उत्पाद की बोतल पर "लोटस स्प्लैश" के उपयोग को द्विभाजित करना संभव नहीं है। यदि प्रतिवादी "लोटस स्प्लैश" का उपयोग इस तरह से कर रहे हैं जो उत्पाद में लोटस के अर्क को एक प्रमुख घटक के रूप में इंगित करता है, तो यह प्रतिवादी के उत्पाद की बोतल पर चिन्ह के उपयोग के लिए समान रूप से लागू होगा क्योंकि चिन्ह का उपयोग कहीं और किया जाता है। किसी भी मामले में, "लोटस स्पलैश" चिह्न का उपयोग स्पष्ट रूप से यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि उत्पाद में लोटस का अर्क इसकी प्रमुख सामग्री के रूप में होता है।

76. इसलिए श्री दयान कृष्णन के इस तर्क में *प्रथम दृष्टया* सार है कि प्रतिवादीगण धारा 30(2)(क) के तहत संरक्षण के हकदार होंगे और उनके द्वारा लोटस स्पलैश चिह्न का उपयोग अतिलंघनकारी प्रकृति का नहीं माना जा सकता।

77. उपरोक्त धारणा इस तथ्य से सशक्त होती है कि प्रतिवादी अपने सभी उत्पादों के लिए समान नामों का उपयोग करते हैं जिसमें उत्पाद के प्रमुख तत्व नाम का पहले शब्द का निर्माण करते हैं जैसे "अश्वगंधा बाउंस", "हल्दी शील्ड", "लिकोरिस बीम", "गोटू कोला ड्यू" और "पचौली ग्लो"। "'लोटस स्प्लैश' निश्चित रूप से इनमें से अलग नहीं है। जैसा कि प्रतिवादियों के अन्य नामों के मामले में उत्पाद, नाम का उद्देश्य अपने पहले शब्द से व्यक्त करना है, जो उत्पाद का मुख्य घटक है। प्रतिवादी के उत्पादों के नामों में दूसरे शब्द का उपयोग एक दिलचस्प विशेषता को उजागर करता है। हालांकि, कुछ उत्पादों जैसे कि "लिकोरिस बीम" और "गोटू काला ड्यू" में, "बीम" और "ड्यू" शब्द किसी भी तत्काल संबंध को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं, उपभोक्ता के मन में, उत्पाद की विशेषताओं के साथ, ऐसा संबंध "टर्मेरिक शील्ड", "पैचौली ग्लो" और, वास्तव में, "लोटस स्प्लैश" के मामले में आमंत्रित किया जाता है। हल्दी अपने एंटीसेप्टिक और उपचारात्मक गुणों के लिए जानी जाती है, जो इसके साथ "शील्ड" शब्द के उपयोग की व्याख्या करता है। इसी तरह, "पचौली ग्लो" में पचौली पत्ती का अर्क होता है और इसका उपयोग सनस्क्रीन के रूप में किया जाता है, जो "ग्लो" शब्द की व्याख्या करता है। "लोटस स्पलैश "एक फेस वॉश

है, ताकि" स्पलैश "शब्द, जब" लोटस "के साथ उपयोग किया जाता है, तो तुरंत उपभोक्ता को सूचित करता है कि उत्पाद में लोटस का अर्क होता है और चेहरे पर छिड़का जाना होता है। इसलिए, पूरा चिह्न "लोटस स्प्लैश" स्वाभाविक रूप से न केवल उत्पाद के प्राथमिक घटक का संकेत है, जो लोटस के फूल का अर्क है, बल्कि फेस वॉश के रूप में उत्पाद की विशेषता का भी संकेतक है।

78. वास्तव में, यह उन मामलों में से एक है जिसमें, मेरे विचार से, अत्यधिक विश्लेषण एक अनिवार्य रूप से सरल मुद्दे को और उलझा देगा। जिस तरह से प्रतिवादियों ने आक्षेपित उत्पाद का विज्ञापन किया है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोटस का अर्क इसका आवश्यक - वास्तव में, प्रमुख - घटक है। "लोटस स्प्लैश" में "लोटस" का उपयोग स्पष्ट रूप से इस तथ्य को उपदर्शित करने के लिए है। न तो यह संयोग है, न ही यह वादी के उत्पाद से उपभोक्ताओं को भ्रमित करने का प्रयास है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि केवल "लोटस" ही उत्पाद की विशेषता का सूचक है। सांकेतिक चिन्ह में सूचक, चिन्ह को बनाने वाले भाग के शब्दों में से एक हो सकता है, किन्तु जब तक शब्द चिन्ह का एक उचित रूप से प्रमुख भाग है, तब तक इसका प्रयोग पूरे चिन्ह को सांकेतिक बना सकता है। श्री सिब्बल, इसलिए, अपने इस प्रतिविरोध में सही नहीं हैं कि प्रतिवादी धारा 30(2)(क) के लाभ का हकदार नहीं हैं क्योंकि यह "लोटस" है जो उत्पाद का संकेत है, न कि पूरा चिह्न "लोटस स्पलैश" का। "लोटस" का उपयोग प्रतिवादी

के फेस वॉश की विशेषताओं का संकेत देने वाले पूरे चिह्न "लोटस स्पलैश" को प्रस्तुत करने में एक प्रमुख कारक है, जिसमें इसके प्रमुख घटक के रूप में लोटस के फूल का अर्क होता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, "स्पलैश" शब्द भी उत्पाद की प्रकृति का संकेतक है, विशेष रूप से जब इसका उपयोग "लोटस" के साथ किया जाता है। इसलिए, श्री सिब्बल द्वारा *जाइडस वेलनेस प्रोडक्ट्स* मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना प्रथम दृष्टया अनुचित है।

79. प्रतिवादी के उत्पाद के प्रत्येक पैक में, बोतल के निचले किनारे पर "82ई" का चिन्ह होता है। हालांकि यह विवाद में निर्णायक नहीं हो सकता है, लेकिन यदि सभी बोतलें एक-दूसरे के बगल में पंक्तिबद्ध हैं, जैसा कि वे किसी स्टोर में हो सकती हैं, जो उक्त उत्पादों को वितरित करता है, या किसी ब्यूटी सैलून में - उपभोक्ता तुरंत बोतल के नीचे आम "82ई" ब्रांड नाम को नोटिस करेगा और प्रत्येक मामले में, बोतल के सामने वाले हिस्से पर नाम उत्पाद की सामग्री का वर्णन करता है। सामान्य 82ई का उपयोग यह दर्शाता है कि प्रतिवादियों का व्यापार चिन्ह 82ई है, न कि लोटस स्प्लैश, लिकोरिस बीम टर्मरिक शील्ड या कुछ और है।

80. चूँकि चिन्ह लोटस स्पलैश उन वस्तुओं की विशेषताओं का सूचक है जिनके लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए चिन्ह का उपयोग स्वाभाविक रूप से अतिलंघनकारी नहीं माना जा सकता है।

81. यदि कोई अतिलंघन नहीं है, तो कोई व्यादेश नहीं हो सकता है।

82. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में प्रथम दृष्टया चला देने का कोई मामला नहीं बनता है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वादी और प्रतिवादी के चिह्न के बीच एकमात्र सामान्य विशेषता "लोटस" शब्द है। उत्पादों के मूल्यों में व्यापक अंतर के साथ उत्पाद दिखने में पूरी तरह से भिन्न हैं। एक उपभोक्ता जो ऐसे उत्पादों का उपयोग करता है, उसे "लोटस स्प्लैश" और वादी के लोटस परिवार के उत्पादों के बीच के अंतर के बारे में पता होगा। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी वस्तुओं के नाम पर "लोटस स्पलैश" का उपयोग करके इसके उत्पाद को वादी के उत्पाद के रूप में चला देना चाहते हैं।

83. तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट है, इसलिए मैं बार में उद्धृत सभी न्यायिक निर्णयों को उल्लिखित करना आवश्यक नहीं समझता। इसके अतिरिक्त, जैसा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने *पेरनोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड* में अभिनिर्धारित किया था:

> याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के आग्रह पर, हम स्पष्ट करते हैं कि यह सुस्थापित विधिक प्रतिपादन है कि अंतर्वर्ती आवेदनों पर निर्णय केवल लंबित वाद में परस्पर विरोधी हितों की रक्षा के लिए किए जाते हैं। किसी तरह से अंतरिम आवेदनों को ही अंतिम निर्णय माना जाता है लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे सभी मामलों में, अंतरिम व्यवस्था की जानी चाहिए और केवल अंतर्वर्ती आवेदनों पर समय बर्बाद करने के बजाय विचारण आगे बढ़ाना चाहिए। इससे याचिकाकर्ता को इस आशंका से सुरक्षा मिलती है कि आक्षेपित निर्णय को याचिकाकर्ता की समान प्रकृति के मामलों के संबंध में अन्य न्यायालय में उद्धृत किया जा सकता है।

निष्कर्ष

84. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, व्यादेश प्रदान करने का कोई *प्रथम दृष्टया* मामला नहीं बनता है।

85. आवेदन खारिज किया जाता है।

न्या. सी. हरि शंकर

25 जनवरी, 2024

डीएसएन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*